

रिपोर्ट पटवारी हेव्या / आर०एल०आर०

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

श्रीमानकी ग्राम हरिपुरा जमाबन्दी २०७५-७८ फार्म नं० ११२ क्रम ४ पर

बाबूबाबू पु. हनुमान (जो दर्ज नहीं है) के पते-पान दस्तावेजों में
जपलम पुत्र हनुमान (जो दर्ज नहीं है) के नाम दुरुस्त किया जाना के संबंध में

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडगाँडजी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की जांच की जाती है / नहीं की जाती है।

हस्ताक्षर श्रीमान श्रीमान उदयपुरवाटी
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडगाँडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेलखंड (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 14/12/20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुडगाँडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में नॉकॉर्ड दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुडगाँडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिए जाते हैं।

ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आवेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
हरिपुरा	2075-78	112	बाबूबाबू पु. हनुमान	जपलम पुत्र पु. हनुमान

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि खत भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की जावे।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14/12/20

राजस्व / 2020 / 2241

तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुडगाँडजी को धारण पालनाथ।

प्रार्थी / प्रार्थीया



हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी